अतिआवश्यक

सं०-ई डी एन-एच ई(21)बी(15)15/2014-वी
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1
Tel:0177-2653120Extn.234_E.mail:genbr@rediffmail.com, Fax:2812882

दिनांक शिमला-1 30 JUL 2015 जुलाई,2015

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि.प्र. शिमला-1

सेवा में

समस्त जिला उप शिक्षा निदेशक,
उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश

विषय:- ***व्यक्ति जिनमें अक्षमताएं है (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एंव पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की दिनांक 18-04-2015 हुई बैठक में लिए गए निर्णय पर कार्यवाही करने बारे।***

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर आपको अवगत करवाया जाता है कि दिनांक 18-04-2015 ***"व्यक्ति जिनमें अक्षमताएं है (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एंव पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995"*** के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश के समस्त सरकारी व निजी स्कूलों में अध्ययनरत सभी छात्राओं/ छात्रों के स्थायी स्वास्थ्य कार्ड बनाये जायें जिसमें इन छात्राओं/ छात्रों के स्वास्थ्य जांच सम्बन्धी पूर्ण विवरण अंकित हो। इस कार्ड के अनुसार नियमित अन्तराल पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चों में प्रथम चरण पर ही पनप रहे लोगों के लक्षणों का आसानी से पता लग सके तथा समय रहते उनका निवारण किया जा सके ताकि बच्चों में गम्भीर रोगों के कारण होने वाली विकलांगता से बचाया जा सके। इस बारे शिक्षा विभाग को स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करने बारे निर्देश दिये गए।

अत: इस बारे आप अपने-अपने अधीनस्थ ***समस्त सरकारी व निजी स्कूलों को आदेश जारी करें कि वह नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारियों के साथ मिलकर अपने-अपने स्कूल के सभी छात्राओं/ छात्रों के स्थायी स्वास्थ्य कार्ड बनाये जिसपर उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्ण जानकारी अंकित हो और नियमित अन्तराल पर इस कार्ड के अनुसार सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच भी सुनिश्चित करें***। इस बारे की गई कृत कार्यवाही से इस निदेशालय को भी सूचित करें ताकि इस बारे सरकार को समय पर अवगत कराया जा सके।

(डॉ० बी० एल० विंटा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (महा०),
उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

Cont. p-2

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक शिमला-1 जुलाई,2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 शाखा अधिकारी, योजना शाखा, उच्चतर शिक्षा निदेशालय को उनके अनौपचारिक पत्र संख्या: शिक्षा-एच(6)-3/2013 (IEDSS), दिनांक 22- 07-2015 और इस शाखा के अनौपचारिक पत्र संख्या: सम दिनांक 22-07-2015 के सन्दर्भ में।

2 तकनीकी अधिकारी, सूचना एवम प्रौधीगिकी कक्ष, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, को पत्र को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने बारे।

3 रक्षक नास्ति।

संयुक्त शिक्षा निदेशक (महा०),
उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश